मंत्रालय

//ओदश//

भोपाल दिनांक 02/02/2017

क्रमांक एफ 10-10/2010/तैंतीस राज्य शासन एतद् मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 10-10/2010/तैंतीस दिनांक 20 जुलाई 2011 द्वारा मान० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है।

उक्त आदेश को प्रतिसहित करते हुए राज्य पर्यटन विकास परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | मान. मुख्यमंत्री जी | अध्यक्ष |
| 2 | मान. मंत्री पर्यटन विभाग | उपाध्यक्ष |
| 3 | प्रमुख सचिव/सचिव नगरीय विकास एवं आवास | सदस्य |
| 4 | प्रमुख सचिव/सचिव वन | सदस्य |
| 5 | प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति | सदस्य |
| 6 | प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन | सदस्य |
| 7 | प्रमुख सचिव/सचिव वित्त | सदस्य |
| 8 | प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 9 | आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल | सदस्य |
| 10 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी | सदस्य |
| 11 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी इको टूरिज्म बोर्ड | सदस्य |
| 12 | जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि दो वर्ष के चक्रीय क्रम मे मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांकित किये जावेंगे। | सदस्य |
| 13 | प्राचार्य, होटल प्रबंधन संस्थान, भोपाल। | सदस्य |
| 14 | संचालक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैंनेजमेंट ग्वालियर | सदस्य |
| 15 | एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (ADTOI) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 16 | साहसिक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ATOAI) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 17 | इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ( IATO) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 18 | फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 19 | गाईड एसोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 20 | मुख्यमंत्री जी द्वारा नामांकित पर्यटन के क्षेत्र मे सक्रिय भागीदारी रखने वाले तीन नागरिक | सदस्य |

अन्य विभागों के सचिव/अधिकारी तथा अन्य अशासकीय व्यक्तियों को भी आवश्यकतानुसार बैठक मे आमंत्रित किया जा सकेगा।

परिषद् के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1. निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना।
2. सम्पोषणीय पर्यटन के लिए प्रभावी नियामक प्रक्रिया हेतु सुझाव देना।
3. पर्यटन क्षेत्र के हितधारियों की समन्वित भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. विभागों की योजनाओं के पर्यटनीय अंश/ गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
5. पर्यटन विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के आयोजन पर चर्चा एवं सुझाव।
6. राज्य शासन की पर्यटन नीति के संबंध में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा।
7. अन्य ऐसे विषय जिनसे प्रदेश का पर्यटन प्रोत्साहित हो।

परिषद् की बैठक प्रत्येक वर्ष मे कम से कम दो बार बुलाई जा सकेगी।

प्रमुख सचिव/ सचिव मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग इस परिषद् के सचिव होगे। वे परिषद् से संबंधित अभिलेख संधारण बैठकों हेतु एजेण्डा तैयार करने एवं परिषद् के निर्णयों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हरि रंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ०क्र० एफ10-10/2010/तैंतीस भोपाल, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/ सदस्य।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, पर्यटन विभाग की ओर जारी आदेश साथ मूल नस्ती सहित अग्रेषित।
5. उपसंचालक, जनसंपर्क मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
मंत्रालय, भोपाल